फार्म–ए0

न्यायालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि–23.06.2026
सत्र–वाद संख्या–178 / 2018
सी0आई0एस0 संख्या–178 / 2018
(संग्रामपुर थाना कांड संख्या–05 / 2017)

उपस्थित :– **आलोक गुप्ता**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।

परिवादी / सूचक	**मो0 नौशाद, पे0**–स्व0 मो0 राविद, साकिन–कोराजी, थाना–संग्रामपुर, जिला–मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री राजपति यादव।
अभियुक्तगण	**1. मो0 कासीफ, पिता–मो0 सलाउद्दीन**, साकिन–कोराजी, थाना–संग्रामपुर, जिला–मुंगेर। **2. मो0 इब्राहीम सुलेमान,** पिता–मो0 सफी आलम, साकिन–कोराजी, थाना–संग्रामपुर, जिला–मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री अमोद कुमार झा।

घटना की तिथि	25.12.2016
प्राथमिकी की तिथि	23.01.2017
आरोप पत्र की तिथि	10.07.2017
आरोप गठन की तिथि	25.02.2021
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	25.03.2021
निर्णय हेतु निश्चित करने की तिथि	23.06.2026
निर्णय की तिथि	23.06.2026
सजा आदेश की तिथि	

न्यायालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि–23.06.2026
सत्र–वाद संख्या–178 / 2018
सी0आई0एस0 संख्या–178 / 2018
(संग्रामपुर थाना कांड संख्या–05 / 2017)

अभियुक्तगण का विवरण:-

Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
मो0 कासीफ	12.05.2017	13.11.2017	धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504, 379 भा0 द0 वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		
मो0 इब्राहीम सुलेमान	07.09.2017	07.09.2017	धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504, भा0द0 वि0	अभियुक्त को रिहा किया		

ए0.–<u>अभियोजन की ओर से इस वाद में चार साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है</u>:–

क0 स0	अभियोजन साक्षी क्रम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या–01	मो0 मोकीम	पक्षद्रोही
02.	अभियोजन साक्षी संख्या–02	मो0 नईम	पक्षद्रोही
03.	अभियोजन साक्षी संख्या–03	मो0 गफ्फार	पक्षद्रोही
034	अभियोजन साक्षी संख्या–04	मो0 नौशाद, सूचक	पक्षद्रोही

बी.–बचाव पक्ष की ओर से साक्षी, यदि हों–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	–	

सी.–न्यायालय साक्षी, यदि हों–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	–	

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सुचिः–

ए0–अभियोजनः–

क्र0 सं0	**प्रदर्श**	**विवरण**
01.	प्रदर्श–पी0–01 / पी0डब्लयू0–04	लिखित आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर
02.	प्रदर्श–पी0–02	औपचारिक प्राथमिकी
03.	प्रदर्श–पी0–03	आरोप–पत्र
04.	प्रदर्श–पी0–04	इंजुरी रिपोर्ट

बी0–बचाव पक्षः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	

सी0–न्यायालयः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	

डी0–वस्तु प्रदर्शः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद के दोनों अभियुक्तगण **1. मो0 कासीफ** का सत्र विचारण, उनके विरूद्व अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323,

504, 379 भा0 द0 वि0 एवं **एवं 2. मो0 इब्राहीम सुलेमान के विरूद्व** धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504, भा0 द0 वि0 का सत्र विचारण दर्ज किया गया है।

2. सूचक **मो0 नौशाद, पे0**–स्व0 मो0 राविद, साकिन–कोराजी, थाना–संग्रामपुर, जिला–मुंगेर लिखित आवेदन इस प्रकार हैः–

दिनांक 25.11.2016 को समय करीब 04 बजे दिन में तीन माईल चौक से अपने गॉव कोराजी आ रहे थे कि जैसे ही मो0 अब्बास के घर के नजदीक पहुॅचा कि वहॉ पहले से ही एक षडयंत्र के तहत घात लगाकर मो0 कासीफ एवं रूकसाना खतुन, मो0 कमाल, संजीदा खातुन, मो0 रिजवान, मो0 इबरान, निशा खातुन सभी एक जुट होकर अपने–अपने हाथों में लाठी–डंडा, लोहे का रड एवं देशी पिस्तौल के साथ मुझे घ ेरकर पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चों के साथ क्यों झगड़ा किया। तब मैंने कहा कि बच्चों को लड़ाई में मत लाईये, गलती हुई है तो मैं माफी मॉगने को तैयार हुॅ। इतना सुनते ही सभी लोग आग बबुला हो गये और बोले कि पॉच हजार रूपया तुम्हें रंगदारी में देना होगा। मैंने रंगदारी देने से इंकार किया तो उपरोक्त सभी लोग आक्रोशित होकर मेरे सिर पर जान मारने की नियत से लोहे के रड से प्रहार किया जिससे मैं जख्मी हो कर गिर गया। मो0 इब्राहीम सुलेमान उर्फ आफताब बाबु ने मेरे भगना मो0 आफताब पे0 मो0 मुख्तार एवं मेरे पुत्र मो0 इमरोज को लाठी में लगा खंती व रोड से मारा जिससे ये दोनों जख्मी हो गये। मो0 कासीफ ने मेरी जेब से दो हजार रूपया निकाल लिया। बेहोशी की अवस्था में मुझे संग्रामपुर अस्पताल ले जाया गया जहॉ प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर ईलाज हेतू मायागंज अस्पताल भेज दिया गया।

3. उपरोक्त घटना के संदर्भ में सूचक द्वारा अपना लिखित आवेदन संग्रामपुर थानाध्यक्ष को दया। उसके पश्चात् **संग्रामपुर थाना कांड संख्या–05 / 17 दिनांक–23.01. 2017** अन्तर्गत **धारा–147, 148, 149, 341, 323, 307, 504, 379 भा0द0वि0** के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ।

4. अनुसंधान पुर्ण होने के पश्चात् संबंधित अनुसंधानकर्ता के द्वारा अभियुक्त **मो0 कासीफ एवं मो0 इब्राहीम सुलेमान** के विरूद्ध **आरोप पत्र संख्या–45 / 17 दिनांक 10. 07.2017 धारा–147, 148, 149, 341, 323, 307, 504, 379 भा0द0वि0** समर्पित किया गया तथा अन्य अभियुक्त के विरूद्व अनुसंधान जारी रखा।

5. दिनांक 31.10.2017 को अभियुक्त 1. मो0 कासीफ एवं 2. इब्राहीम सुलेमान उर्फ अफताब बाबु के विरूद्व **धारा–147, 148, 149, 341, 323, 307, 504 एवं 379 भा0द0वि0** के

अंतर्गत **संज्ञान** लिया गया तथा दिनांक 12.06.2018 को ही **दौरा सुपुर्दगी** किया गया और सत्र न्यायालय में प्राप्त हुआ।

6. दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् प्रस्तुत कांड का अभिलेख सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ जहॉ पर इसे **सत्र विचारण 178 / 2018** के रूप में **पंजीकृत** किया गया और प्रस्तुत कांड के अभियुक्त **मो0 कासीफ** का सत्र विचारण, उनके विरूद्व अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504, 379 भा0 द0 वि0 **एवं 2. मो0 इब्राहीम सुलेमान के विरूद्व** धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504 भा0 द0 वि0 आरोप गठन दिनांक **25.02.2021** को किया गया और उसे हिन्दी में अनुवाद कर अभियुक्तगण को सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने उक्त आशय के अपराध कारित किये जाने का विरोध किया तथा न्यायालय के समक्ष विचारण का दावा प्रस्तुत किया।

7. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण **मो0 कासीफ एवं मो0 इब्राहीम सुलेमान** का बयान दिनांक–अन्तर्गत **धारा–313 अन्तर्गत दं0प्र0सं0 दिनांक–23.06.2026 को** लेखवद्व किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

8. न्यायालय के समक्ष, मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि ''क्या अभियोजन पक्ष, अपने द्वारा लाये गये उक्त आरोपों को, उपरोक्त अभियुक्तगण मो0 कासीफ एवं मो0 इब्राहीम सुलेमान विरूद्व, युक्तियुक्त सभी शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल हो सके, अथवा, नहीं?''

मन्तव्य

अभियोजन साक्ष्यः–

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में कुल चार साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :–

अभियोजन साक्षीः–

क0 स0	अभियोजन साक्षी क्रम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या–01	मो0 मोकीम	पक्षद्रोही
02.	अभियोजन साक्षी संख्या–02	मो0 नईम	पक्षद्रोही

03.	अभियोजन साक्षी संख्या–03	मो0 गफ्फार	पक्षद्रोही
034	अभियोजन साक्षी संख्या–04	मो0 नौशाद, सूचक	पक्षद्रोही

9. अभियोजन साक्षी संख्या–01, मो0 मोकीम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है घ ाटना बहुत दिन पहले की है। बच्चा–बच्चा में झगड़ा हुआ था। घटना में मारपीट नहीं हुआ था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। **अभियोजन साक्षी संख 02, मो0 नईम, एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03, मो0 गफ्फार ने अपने** मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और पुलिस के समक्ष बयान नहीं हुआ।

उक्त तीनों अभियोजन साक्षियों को अभियेाजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घ ोषित किया गया है। उक्त तीनों साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियोजन पक्ष के मेल में आकर सही तथ्य छिपा लिया हुॅ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 04, मो0 नौशाद जो प्रस्तुत कांड के सूचक हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह केस मैंने किया है। लिखित आवेदन किसके द्वारा लिखा गया है यह मैं नहीं जानता हुॅ। इस केस के लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हुॅ जिसे **प्रदर्श–01** अंकित किया जाता है। यह घटना दिनांक 25.12.2016 की शाम 04 बजे का है। यह केस मैंने मो0 कासिब, रूकसाना खातुन, मो0 कमाल, मो0 रिजवान, मो0 इमरान, निशा खातुन, इब्राहीम सुल्तान, अब्दल उर्फ आफताब बाबु पर किया था। मैं तीन माईल चौक से घर आ रहा था, अभियुक्तगण गाली–गलौज करने लगा, भगदड़ हुआ और मैं गिर गया। सिर फुटा और ईलाज हेतु संग्रामपुर प्राथमिकी अस्पताल गये। वहॉ से बेहतर ईलाज हेतु भागलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के समक्ष बयान हुआ था या नहीं यह याद नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल में आकर सही तथ्य छिपा लिया हुॅ।

उक्त सूचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण मेरे गॉव के हैं इसलिये मैं इन लोगों को पहचानता हुॅ। दोनों उभयपक्षों में राजी–खुशी से समझौता हो गया है। समझौता आवेदन न्यायालय में दाखिल है जिस पर मेरा एवं उभयपक्ष का भी हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण से मेरा सिर्फ बाता–बाती हुआ था। भगदडत्र मैं मैं, मेरा भगना मो0 आफताब और पुत्र इमरोज गिर गये जिससे

जख्मी हो गये और ईलाज हुआ। लिखित आवेदन पर लिखी गई बातें मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर दारोगा जी ने करवाया था। गवाह मो0 आसिक की मृत्यु हो चुकी है। मो0 आसिक मेरे चाचा लगते हैं। मो0 आफताब जो मेरे भगना है उसको भी गिरने से जख्म हुआ था। मो0 आफताब बिहार से बाहर है जो आने में असमर्थ है। मैं आगे मुकदमा में गवाही नहीं देना चाहता हुँ और न ही आगे केस लड़ना चाहता हुँ। आज मैंने राजी–खुशी से बिना किसी दबाव के न्यायालय में गवाही दिया हुँ।

11. अभियोजन पक्ष की आरे से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यः–

क0 सं0	**प्रदर्श**	**विवरण**
01.	प्रदर्श–पी0–01 / पी0डब्लयू0–04	लिखित आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर
02.	प्रदर्श–पी0–02	औपचारिक प्राथमिकी
03.	प्रदर्श–पी0–03	आरोप–पत्र
04.	प्रदर्श–पी0–04	इंजुरी रिपोर्ट

प्रस्तुत वाद के आदेश–फलक **दिनांक 23.06.2026** के अनुसार विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन साक्ष्य को बंद करने का अनुरोध किया गया।

सफाई साक्ष्यः–(ए0)

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियॉंः–

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा **चार साक्षियों** को परीक्षित कराया गया है और चार **प्रदर्श** को चिन्हित कराया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियॉंः–

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण के विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। **अभियोजन साक्षी संख्या–01, मो0 मोकीम, अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 नईम एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03, मो0 गफ्फार** को अभियेाजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या 04, मो0 नौशाद जो** प्रस्तुत कांड के सूचक हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं तीन माईल चौक से घर आ रहा था, अभियुक्तगण गाली–गलौज करने लगा, भगदड़ हुआ और मैं गिर गया। उक्त सूचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है उभयपक्षों में राजी–खुशी से

समझौता हो गया है। समझौता आवेदन न्यायालय में दाखिल है जिस पर मेरा एवं उभयपक्ष का भी हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण से मेरा सिर्फ बाता–बाती हुआ था। भगदड़ मैं मैं, मेरा भगना मो0 आफताब और पुत्र इमरोज गिर गये जिससे जख्मी हो गये और ईलाज हुआ। लिखित आवेदन पर लिखी गई बातें मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर दारोगा जी ने करवाया था। गवाह मो0 आसिक की मृत्यु हो चुकी है। मो0 आसिक मेरे चाचा लगते हैं। मो0 आफताब जो मेरे भगना है उसको भी गिरने से जख्म हुआ था। मो0 आफताब बिहार से बाहर है जो आने में असमर्थ है। मैं आगे मुकदमा में गवाही नहीं देना चाहता हुँ और न ही आगे केस लड़ना चाहता हुँ। आज मैंने राजी–खुशी से बिना किसी दबाव के न्यायालय में गवाही दिया हुँ।

उसके बाद बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने प्रस्तुत कांड का समर्थन नहीं किया है। तद्नुसार प्रस्तुत कांड के आरोपी व्यक्ति मुक्त होने के पात्र हैं।

<u>न्यायालय निष्कर्ष</u>:–

14. प्रस्तुत कांड के अभियुक्त **मो0 कासीफ एवं मो0 इब्राहीम सुलेमान हैं।** उक्त दोनों अभियुक्त में से **मो0 कासीफ के** विरूद्व अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504, 379 भा0 द0 वि0 एवं **एवं 2. मो0 इब्राहीम सुलेमान के विरूद्व** धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504 भा0 द0 वि0 के तहत आरोप है। अभियोजन पक्ष ने कुल चार साक्षियों को परीक्षित करवाया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–01, मो0 मोकीम, अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 नईम एवं अभियोजन साक्षी संख्या 03, मो0 गफ्फार** को अभियेाजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या 04, मो0 नौशाद जो** प्रस्तुत कांड के सूचक हैं ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं तीन माईल चौक से घर आ रहा था, अभियुक्तगण गाली–गलौज करने लगा, भगदड़ हुआ और मैं गिर गया। उक्त सूचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है उभयपक्षों में राजी–खुशी से समझौता हो गया है। समझौता आवेदन न्यायालय में दाखिल है जिस पर मेरा एवं उभयपक्ष का भी हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण से मेरा सिर्फ बाता–बाती हुआ था। भगदड़ मैं मैं, मेरा भगना मो0 आफताब और पुत्र इमरोज गिर गये जिससे जख्मी हो गये और ईलाज हुआ। लिखित आवेदन पर लिखी गई बातें मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। लिखित आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर दारोगा जी ने करवाया था। गवाह मो0 आसिक की मृत्यु हो चुकी है। मो0 आसिक मेरे चाचा लगते हैं। मो0 आफताब जो मेरे भगना है उसको भी गिरने से जख्म हुआ था। मो0 आफताब बिहार से बाहर है जो आने में असमर्थ है। मैं आगे मुकदमा में गवाही नहीं देना

चाहता हुँ और न ही आगे केस लड़ना चाहता हुँ। आज मैंने राजी–खुशी से बिना किसी दबाव के न्यायालय में गवाही दिया हुँ।

उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुये, मेरा मानना है कि अभियोजन के किसी साक्षी ने वाद का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन युक्तियुक्त सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः यह न्यायालय, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण **मो0 कासीफ** के विरूद्व धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504, 379 भा0 द0 वि0 में एवं **मो0 इब्राहीम सुलेमान के विरूद्व** धारा–147, 148, 307 / 149, 341, 323, 504 भा0 द0 वि0 के तहत आरोप है, से मुक्त करने का आदेश देती है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत प्राप्त किये हुए है।

अतः अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से पुर्णतया स्वतंत्र करने का आदेश देती है।

(लेखापित एवं शुद्विकृत)

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
23.06.2026

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
23.06.2026